न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 551 सन 2019

अनवान :–

1. छोटू खां 2 सलीम खां पुत्रगण फैज मोहम्मद जाति मुसलमान छोवी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. फैज मोहम्मद पुत्र किमा उर्फ करीमबक्स जाति मुसलमान छोवी निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (फोत)
2. जाफरी पुत्री फेज मोहम्मद पत्नी संतुखा जाति मुसलमान छोवी निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जमेला पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी रिशाल खां जाति मुसलमान छोवी निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जरीना पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी मुकारब खान जाति मुसलमान छोवी निवासी बालसमन्द जिला हिसार
5. मदीना पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी रिमजान खान जाति मुसलमान छोवी निवासी बालसमन्द जिला हिसार
6. खुशीर्दा पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी दीपखान जाति मुसलमान छोवी निवासी बालसमन्द जिला हिसार
7. सन्तोष पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी धर्मवीर जाति मुसलमान छोवी निवासी पाना छजाण मोखरा जिला रोहतक
8. राजो पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी रोहताश जाति मुसलमान छोवी निवासी पाना छजाण मोखरा जिला रोहतक
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 37/24 की कुल 5.3376हैक में से 40 हिस्सा व रोही मौजा 24 जेएसएन के खाता संख्या 19/20 की कुल 5.0600हैक में से 86–1/3 हिस्सा व खाता संख्या 20/8 की कुल 4.5520हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पिता फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के पिता फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त हो चुका है फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के देहान्त होने के बाद व फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है।

वादी के पिता फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जो फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो फेज मोहम्मद के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 37/24 की कुल 5.3376हैक में से 40 हिस्सा व रोही मौजा 24 जेएसएन क खाता संख्या 19/20 की कुल 5.0600हैक में से 86–1/3 हिस्सा व खाता संख्या 20/8 की कुल 4.5520हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पिता फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के पिता फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त हो चुका है फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के देहान्त होने के बाद व फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है।

वादी के पिता फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जो फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 37/24 की कुल 5.3376हैक में से 40 हिस्सा व रोही मौजा 24 जेएसएन क खाता संख्या 19/20 की कुल 5.0600हैक में से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

86–1/3 हिस्सा व खाता संख्या 20/8 की कुल 4.5520हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र के अनसुार प्रतिवादी संख्या 1 फैज मोहम्द पुत्र करीमबक्स का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है अर्थात फेज मोहम्मद पुत्र करीमबक्स के नाम दर्ज भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 37/24 की कुल 5.3376हैक में से 40 हिस्सा व रोही मौजा 24 जेएसएन क खाता संख्या 19/20 की कुल 5.0600हैक में से 86–1/3 हिस्सा व खाता संख्या 20/8 की कुल 4.5520हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलत शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनाक 10/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1 छोटू खां 2 सलीम खां पुत्रगण फैज मोहम्मद जाति मुसलमान छोबी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 फैज मोहम्मद पुत्र किमा उर्फ करीमबक्स जाति मुसलमान छोबी निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (फोत)

2 जाफरी पुत्री फेज मोहम्मद पत्नी संतुखा जाति मुसलमान छोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3 जमेला पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी इशाल खां जाति मुसलमान छोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

4 जरीना पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी मुकारब खान जाति मुसलमान छोबी निवासी बालसमन्द जिला हिसार

5 मदीना पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी रिनजान खान जाति मुसलमान छोबी निवासी बालसमन्द जिला हिसार

6 खुशीर्दा पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी दीपखान जाति मुसलमान छोबी निवासी बालसमन्द जिला हिसार

7 सन्तोष पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी बर्शीद जाति मुसलमान छोबी निवासी पाना छजाण नोखरा जिला रोहतक

8 राजो पुत्री फैज मोहम्मद पत्नी जोहताब जाति मुसलमान छोबी निवासी पाना छजाण नोखरा जिला रोहतक

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 551 सन 2019 निर्णय दिनांक– 10/09/2020

आज यह वाद मुझ स्वतः कायर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुता एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि राही मौजा चक 2 आरपीएन के खाता संख्या 37/24 की कुल 5.3376हैक में से 40 हिस्सा व राही मौजा 24 जेएसएन क खाता संख्या 19/20 की कुल 5.0600हैक में से 86–1/3 हिस्सा व खाता संख्या 20/8 की कुल 4.5520हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner